

**नियुक्ति काउंसलिंग में पति/पत्नि के आधार पर वरीयता प्राप्त  
करने हेतु आवेदन**

1. अभ्यर्थी का नाम : .....
2. आवेदित पद का नाम : .....
3. विषय : .....
4. संबंधित विषय की मेरिट सूची में वरिष्ठता क्रमांक : .....
5. पति/पत्नि का नाम : .....
6. विभाग/कार्यालय एवं स्थान का नाम जहा पति/पत्नि पदस्थ है। : .....
7. पति/पत्नि का पद नाम : .....
8. पति/पत्नि का नियुक्ति दिनांक : .....

टीप:- पति-पत्नि के आधार पर काउंसलिंग में वरीयता का लाभ केवल शासकीय सेवा में नियोजित कर्मचारियों को ही दिया जावेगा । काउंसलिंग में वरीयता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज इस आवेदन के साथ संलग्न करें:-

1. पदस्थापना की पुष्टि हेतु संबंधित कार्यालय का प्रमाण पत्र/नियुक्ति पत्र/कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन ,
2. पति-पत्नि होने संबंधी प्रमाण पत्र/शपथपत्र।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर  
नाम एवं पता .....  
.....  
.....